

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—1445 / FP/UK/ROAD/9612/2015 : देहरादून: दिनांक: 01 नवम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद चमोली के अन्तर्गत पजियाणा-घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/9612/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—
8बी/यूसीपी/06/38/2016/एफसी/2080 दिनांक 14-03-2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:—

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.976 हे० ग्राम-घण्डियाल खालसा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 10,07,248.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 3.976 हे० ग्राम-घण्डियाल खालसा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि रू० 16,79,860.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण पर ऑनलाईन जमा कुल धनराशि रू० 26,87,108.00 के चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Central Verge के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत बांज वृक्षों के रोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-5)
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 2639 दिनांक 05-03-2016 के द्वारा भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
8. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा FRA Certificates को Online Part-I में यथास्थान Upload किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

संख्या 1445 / FP/UK/ROAD/9612/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वी०, गैरसैण।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक